

**Report of the committee constituted by the Hon'ble NGT Bhopal in the Matter Rajendra  
Tiwari v/s Union of India & Ors**

**O.A. 46/2022**

1. **Background:**

The Petitioner prayed that a hotel is being illegally constructed inside Nahargarh Wildlife Sanctaury, Jaipur and it should be demolished.

2. **Hon'ble NGT CZ, Bhopal order dated 31.05.2022**

Hon'ble NGT Bhopal(CZ) order is stated as under :

*"5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-*

*i. District Collector, Jaipur*

*ii. Chief Conservator of Forests or his representative, Jaipur*

*iii. Jaipur Development Authority through its Commissioner, Jaipur*

*iv. One representative from State Pollution Control Board.*


*6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."*

The following members were part of the committee:

1. Additional District Magistrate, Jaipur-North (Nominee of District Collector Jaipur)
2. Deputy Conservator of Forest Zoo(Wildlife) Jaipur (Nominee of the Chief Conservator of Forest)
3. Deputy Commissioner Second, Jaipur Development Authority (Nominee of the Commisioner, Jaipur Development Authority)
4. Regional Officer, Jaipur-North (Representative of the State Pollution Control Board)

3. **Committee's Observations:**

The committee opined about the need of a fresh joint survey for ascertaining the correct position of the land in question, in its report dated 02.08.2022. Following which a committee was constituted by the District Collector Jaipur, comprising of representatives of Forest Department, Revenue Department and JDA, vide his order dated 04.08.2022 (copy enclosed, Annexure-1) .In compliance of the order dated 04.08.2022, chain survey was tried on 12.08.2022 but could not be completed because of buildings existing between permanent points, and hence, the team suggested the survey to be done along with the settlement officer's team with the use of DGPS instruments. Accordingly, District Collector Jaipur, ordered the settlement officer to conduct the survey vide his letter dated 18.08.2022(copy

  
15/09/2022


  
15/9/22

  
15/9/22


  
15.9.22

enclosed, Annexure-2). The Settlement team, along with Forest, Revenue and JDA teams, conducted the survey on 24.08.2022, and post processed the data and submitted their report to the Revenue department which was made available on 08.09.2022 (copy enclosed, Annexure-3).


According to the aforesaid report, about 140 sq. m. area of the land towards west, as shown in the joint survey report enclosed, is falling within Forest boundary, as well as Nahargarh Wildlife Sanctuary Boundary. Rest part of the building is falling in the notified Eco-sensitive Zone.

  
15/9/22  
Birbal Singh

Additional District Collector(North), Jaipur

  
15/9/22  
Kapil Chandrawal


Deputy Conservator of Forest Zoo(Wildlife),  
Jaipur



Vijay Sharma

Regional Officer, RSPCB, Jaipur(North)



  
15/9/22

Mrs. Shefali Kushwah

Deputy Commissioner IInd, Jaipur, JDA

क्रमांक:श0उ0/एन.जी.टी./2022/2060

दिनांक:- 04/08/2022

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण केन्द्रीय जोन बैंच भोपाल प्रकरण संख्या 46/2022 उनवान राजेन्द्र तिवाड़ी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 की पालना में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उपरान्त आदेश में वर्णित स्थान का संयुक्त सर्वे करने हेतु वन विभाग, राजस्व विभाग एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम गठित की जाती है:-

1. उपवन संरक्षक, चिड़ियाघर (वन्य जीव) जयपुर।
2. उपायुक्त, जोन-2, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील आमेर।

उपरोक्तानुसार संयुक्त गठित टीम के अधिकारी अपने स्तर से सर्वे कार्य हेतु संबंधित अधिकारी/कार्मिक को नियुक्त कर तहसीलदार आमेर के नेतृत्व में दिनांक 05.08.2022 से सर्वे कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित करें। तहसीलदार आमेर सर्वे कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करवाकर सर्वे रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला कलेक्टर  
जयपुर

क्रमांक:श0उ0/एन.जी.टी./2022/2061-64

दिनांक:- 04/08/2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. उपवन संरक्षक, चिड़ियाघर (वन्य जीव) जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर उत्तर जयपुर।
3. उपायुक्त जोन-2, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील आमेर।

  
जिला कलेक्टर  
जयपुर

क्रमांक:श0उ0 / 2022 / 2182

दिनांक:- 18/08/2022

भू-प्रबंध अधिकारी  
भू-प्रबंध कार्यालय  
विमान भवन, जयपुर

विषय:- भू-प्रबंध विभाग द्वारा तकनीकी पद्धति (इ.डी.एम. मशीन) के माध्यम से सीमाज्ञान करवाने बाबत।

प्रसंग:- तहसीलदार आमेर के पत्रांक 4646 दिनांक 17.08.2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण केन्द्रीय जोन बैंच भोपाल प्रकरण संख्या 46/2022 उनवान राजेन्द्र तिवाडी बनाम यूनियन ऑफ इम्प्लिया व अन्य विचाराधीन हैं। प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 की पालना में तहसीलदार आमेर के नेतृत्व में सर्वे किये जाने हेतु टीम गठित की गई। जिसके क्रम में तहसीलदार आमेर ने प्रासंगिक पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि मौके पर वर्णित स्थान के मध्य घनी आबादी एवं पुख्ता मकानात एवं उंची इमारते बनी होने के कारण उक्त दोनो गै.मु. चाह से वर्णित स्थान (खसरा नं 5622 व 5628)पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में खसरा नं 5622 व 5628 का सीमाज्ञान भू-प्रबंध विभाग की तकनीकी पद्धति से करवाने हेतु निवेदन किया गया है। जिसमे सीमाज्ञान, चैकलिस्ट, नक्शा, जमाबंदी एवं फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न हैं।

अतः प्रासंगिक की प्रति एवं दस्तावेजात संलग्न कर लेख है कि वर्णित स्थान (खसरा नं 5622 व 5628) नवीन तकनीकी पद्धति (इ.डी.एम. मशीन) से अतिशीघ्र सीमाज्ञान करवाना सुनिश्चित करें। प्रकरण में जवाब हेतु दिनांक 30.08.2022 नियत है।

  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला कलक्टर  
जयपुर

दिनांक:-

क्रमांक:श0उ0 / 2022 /

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, चिडियाघर (वन्यजीव) जयपुर।
2. उपायुक्त जोन-2, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
3. तहसीलदार आमेर, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

— // —  
जिला कलक्टर  
जयपुर

# कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर

क्रमांक भू0अ0/संस्था/2022/6247

दिनांक 8/09/2022

श्रीमान अति०जिला मजिस्ट्रेट महोदय,  
शहर उत्तर जिला जयपुर

विषय:—ओ.ए.संख्या 46/2022 राजेन्द्र तिवाडी बनाम यूनियन ऑफ  
इंडिया व अन्य में तकनीकी पद्धति (ई.डी.एम. मशीन) के माध्यम से  
सीमाज्ञान करवाने बाबत

प्रसंग:—श्रीमान का पत्रांक श0अ0/2022/2197-99 दिनांक 22.08.2022  
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में निवदेन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित  
प्राधिकरण केन्द्रीय जोन बैंच भोपाल प्रकरण संख्या 46/2022 उनवान राजेन्द्र तिवाडी बनाम  
यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश की पालना में दिनांक 26.08.2022 को वन  
विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग के साथ राजस्व टीम द्वारा ख.नं. 5622 व 5628 का सीमाज्ञान किया  
गया एवं दिनांक 07.09.2022 को भू-प्रबन्ध विभाग व राजस्व टीम द्वारा वन विभाग को  
खसरा नम्बर 5622 व 5628 में निर्मित विवादित भवन का चिन्हीकरण करवा दिया गया है।  
उक्त प्रकरण के संबंध में वन विभाग को सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है।

अतः चाही गई रिपोर्ट श्रीमानजी को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलंगन:—1. फर्द रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस।

2. सीमाचिन्हीकरण रिपोर्ट।



तहसीलदार (भू.अ.)  
आमेर

दिनांक 7/09/2022

श्रीमान सिला कलमर महे० जयपुर के पत्रांक 2182  
 दिनांक 18.8.22 की अनुशंका क श्रीमान यु. प्रबन्ध  
 अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक 3159 दिनांक 7.9.22  
 व श्रीमान तदवीष्यार महे० के आदेश क्रमांक 6167 दिनांक  
 6.9.22 की अनुपालना में ग्राम आपेर तह०- आपेर  
 में ख.न 5622 व 5628 के सीमासमाप्ति चिह्नकरण  
 कार्य में राजस्व हेतु जयपुर वन विभाग के  
 उपस्थिति में यु. प्रबन्ध विभाग द्वारा लक्ष्मिणी खेती  
 प्रदान किया गया व उक्त खेती नक्शों की सीमा  
 का चिह्नकरण कार्य पूर्ण किया गया।  
 सीमाचिह्नकरण रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

यु. प्रबन्ध टीम

चौधरी  
7.9.22

7.9.22

पञ्चायत

7.9.22

राजस्व टीम

TDR Amer

पञ्चायत

प. आपेर

प० लक्ष्मिणी  
07.9.2022

JDA

TDR  
JDA

वन विभाग


सोपल  
21FWL 2003

2  
क्षेत्र. अ.  
नाहरगढ़ जंगल  
जयपुर

श्रीमान को  
सर्व मल  
  
जयपुर

# फर्द रिपोर्ट

— आज दिनांक 07-09-2022 को श्रीमान् मिस्टर कलकट्ट  
 बख्तवा, जयपुर के आदेश क्रमांक 2182 दि. 18-08-2022 की अनुसंधान  
 व श्रीमान् यू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक 3159  
 दि. 07-09-2022 व श्रीमान् तहसीलदार अहो-आमेर के आदेश  
 क्रमांक 6167 दि. 06-09-2022 की अनुपालना में गाँव-आमेर,  
 तहसील-आमेर, जिला-जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 5622  
 व 5628 के सीमाशाग चिन्हिकरण कार्रवाई में यू प्रबन्ध विभाग  
 जयपुर द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व उक्त खसरा  
 नम्बरों की सीमा का चिन्हिकरण कार्य किया गया। यू प्रबन्ध  
 विभाग की टीम द्वारा उक्त दोनों खसरा नम्बरों के मध्य की  
 सीमा को बताया गया। यू प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा मुाबिक  
 चिन्हिकरण किये गये अनुसार विवादिता निर्मित भवन उक्त दोनों  
 खसरा नम्बरों में प्राया गया। जिसमें से यू प्रबन्ध विभाग द्वारा  
 सुपर इम्पोज नम्बरों के अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल मग  
 सिंगल ईंट बाउण्ड्रीवाल के क्षेत्रफल लगभग 142 वर्गमीटर खसरा नं. 5622  
 में आता है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वन विभाग के नाम  
 दर्ज है। तथा शेष भवन का निर्मित क्षेत्रफल खसरा नं. 5628 में  
 है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उ.ड.आ. जयपुर के  
 नाम दर्ज है। जिसका नजरी नम्बर निम्नानुसार है :-



फर्द बौका रिपोर्ट तैयार कर पढकर सुनाकर उपस्थित  
 (क्षिमागीय प्रतिनिधियों के) के हस्ताक्षर कराये गये।

S. संसोधन :- सुपर इम्पोज नम्बरों की प्रोटोकोपी  
 टीम वन विभाग टीम उ.ड.आ. जयपुर व टीम राजस्व विभाग

RFO  
 Nohargarh Banchay  
 Jyapur

*(Signature)*

*(Signature)*

Yare TDR  
 तहसीलदार भू.अ.  
 आमेर


श्रीमती  
 श्रीमती  
 श्रीमती

संगोला  
 पञ्चम  
 श्रीमती

TDR  
 JPA

ग्राम - आमेर  
 तह - आमेर  
 क्षेत्रफल - 01 हे.मी. = 40 मी.

S



यामल  
 6/9/22  
 तहसीलदार मूठ  
 आमेर

अमर  
 06/9/22  
 06.9.2022

26.8.22

26.8.22

26.08.22  
 06/09/2022